

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**  
**OA No. 157/2024**

**IN THE MATTER OF:**

**ADITYA SHRIVASTAVA**

**.....APPLICANT**

**VERSUS**

**UADD, Govt. of MP & ORS.**

**.....RESPONDENTS**

**INDEX**

<b>SR.</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE</b>
1.	Inspection report submitted in compliance of order dated 22/04/2025	1-32
2.	Proof of Service	33

Date: 24.06.2025

Submitted by MPPCB:-

Place: Bhopal

through Counsel



**Adv. Parul Bhadoria**  
**Ph. No.: (+91)-8085977111;**  
**Email: parul.bhadoria04@gmail.com**

# **INSPECTION REPORT**

In The Matter of  
**Original Application No.157/2024 (CZ)**

**Aditya Shrivastava Applicant (s)**

**Vs**

**Urban Administration & Development Department, Govt. of M.P. &  
Ors.**

In Compliance of Order dated 22/04/2025



**Date of Inspection: 26.04.2025**

**Location: Landfill Site, Municipal Council, Shivpuri,  
Distt- Shivpuri (MP)**

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (CZ) BENCH,**

**BHOPAL**

**Original Application No.157/2024**

**Aditya Shrivastava Applicant (s)**

**Vs**

**Urban Administration & Development Department, Govt. of M.P.**

**& Ors.**

<b>Sr. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Annexure</b>	<b>Page No.</b>
1.	Hon'ble NGT (CZ) Order dated 22.04.2025	1	
2.	Allotment of MSW dumping site vide Order No. 3/2003-04/B-121 dated 20.08.2004 and Order No. 0026/A-20(5)/2023-24/34 dated 13.06.2024	2-3	
3.	Photographs of MSW dumping site and its surroundings captured by Drone camera	4	
4.	Nagar Palika Parishad, Shivpuri Letter No. Q dated 26.04.2025	5	
5.	Nagar Palika Parishad, Shivpuri Letter No. 4215 dated 04.10.2024	6	
6.	Panchnama dated 26.04.2025 during inspection.	7	
7.	Photographs showing burning and live fire of Solid waste at MSW dumping site.	8	
8.	Ambient air quality monitoring report around municipal solid waste dumping site.	9	
9.	Copy of City Shivpuri development plan map.	10	
10.	Hon'ble NGT orders case number OA 606/2018 of (PB), New Delhi	11-12	
11.	Action taken by Collector Shivpuri for recovery EC vide letter number: DUDA/2025/263 Dated 03.04.2025.	13	
12.	Tehsildar, Shivpuri has issued a demand letter to CMO, Municipality Council, Shivpuri vide DD letter no. 364 date 23.04.2025 under section 146 of Madhya Pradesh Land Revenue Code.	14	
13.	Court case filed against municipal council Shivpuri dated 08.07.2024	15	

### **Background:-**

The Hon'ble National Green Tribunal (CZ) vide order dated 22.04.2025 directed Regional Officer of State PCB to visit the site and submit the report after examining the status in the area where the CRPF Training Centre is situated and submit the report within three weeks. **Annexure-1.**

In compliance to above direction dumpsite of Municipal Council, Barodi , Shivpuri was inspected on 26.04.2025 by the following officials of MPPCB-

1. In-charge Nagar Palika Parisad Shivpuri CMO- Shri Sachin Chouhan.
2. Shri Pawan Kumar Singh, Assistant Commandant - CIAT School CRPF Shivpuri.
3. Shri Ramshromani Pandey, Deputy Jailor Circle Jail, Shivpuri.

### **Details of MSW Dumpsite Barodi :-**

The District Collector, Shivpuri allotted the S.No 550, area- 4.572 hect. land for MSW dumping site vide order number 3/2003-04/B-121 dated 20.08.2004 at village Barodi, and further S.No 233, area 2.0 hect. of land was also allotted by Collector, Shivpuri for MSW dumping site vide order No. PCR/0026/A-20(5)/2023-24/34 dated 13.06.2024 at vill. Magrora, Shivpuri **Annexure 02-03.**

### **Current status of surrounding area of existing MSW Site:-**

<b>Direction</b>	<b>Distance</b>	<b>location</b>
South East direction	About 600-700 meter away	<b><u>CIAT School CRPF</u></b> CIAT School CRPF having approximate population of 1500-2000 including families and trainees.
In West direction	About 100-125 meter away	<b><u>CIRCLE JAIL</u></b> The jail was inaugurated on 25.02.2019- approximate population of 500 including prisoners, Jail officials and their families reside.
In North direction	About 100-150 meter away	Barodi Residential Area
In East direction	About 50-100 meter away	Baragaon Road and Residential Area Barodi
In North East direction	About 50-100 meter away	Agricultural land and residential area

Drone camera footage showing the municipal solid waste dumping site and its surroundings - **Annexure 04.**

**Resources available with the ULB for collection of MSW:-**

As per information provided by Municipal Council, Shivpuri, vide letter No Q dated 26/04/2025 current population of Shivpuri city is about 2.50 lakh. The ULB generates total of 72 tones of MSW/day. In order to collect the said quantity of MSW, 32 garbage vehicles, 02 dumpers, 07 tractor trolleys and 400 sweepers have been deployed. The collected MSW of the city is being dumped at the dump site Barodi.

**Details of plant machinery installed at the dumping site:-**

A concrete boundary wall has been built around the dump site at Barodi having Iron Gate at the main entrance. A concrete road has been built for the vehicles to enter the dump site. There is a fecal sludge treatment plant, MRF plant, 11 separate compartments for segregation of waste, 01 nos. shredder, and 01 no. Elbow machine, 01 no. veiling machine, 12 composting pits, 02 DG sets each Capacity of 62.5 KVA, 01 dumper, 01 JCB machine and 01 screening plant of capacity 25 tone/hour are installed at the dump site. In this regard letter no. Q dated 26.04.2025 of Municipal Council attached on **Annexure 05.**

**Information regarding Legacy Waste Processing:-**

Municipal Council, Shivpuri issued work order vide letter No. 4215 dated 04.10.2024 to M/s Environmental Technology, Shanti Niketan Apartment, Agra (U.P.) for Remediation Through Bioremediation Booming and Disposal Of Residual Legacy Waste. **Annexure 06.**

**Pollution, foul smell, mosquitoes, flies problem around dumping site:-**

- Around the dumping site there are residential areas, Circle jail, CIAT school of CRPF.
- Due to legacy waste dumping site, there is a problem of foul smell, mosquitoes, and flies in the surrounding area. Dead animals are also dumped at the dump site

by Municipal Council, Shivpuri, which also causes foul smell in the surrounding area.

- During fire in legacy waste, nearby people has to face the problem of air pollution and foul smell. Municipal council Shivpuri has not made any effective arrangements for extinguishing fire in the dumping site.
- Panchnama has been prepared at the time of inspection which is attached as **Annexure 07.**

**Information regarding fire/burning of legacy waste:-**

In summer season fire was seen smoldering and burning at various places in the legacy waste stored at the dumping site, Due to which, foul smell and air pollution was observed in the surrounding area. No action was seen to extinguish the fire at the dumping site. Photographs taken on 28.03.2025, 26.04.2025 & 03.05.2025 are attached as **Annexure 08.**

**Ambient air quality Monitoring:-**

Ambient air quality monitoring was done around the waste dumping site of Barodi on 03.05.2025. In which samples of **PM<sub>2.5</sub>**, **PM<sub>10</sub>** , **So<sub>2</sub>** , **No<sub>2</sub>** , were taken. During monitoring, the wind flowing from north to south and was fluctuating in south-west and south-east direction. The monitoring report is attached at **Annexure 09.**

<b>Location</b>	<b>Sampling locations Details (Distance, Direction) w.r.t MSW Dump Site</b>	<b>Coordinate</b>
<b>Location I</b>	100 Mtr. away from MSW Dump Site in East direction near Barodi Residential area.	Latitude 25.3799 Longitude 77.6473
<b>Location II</b>	100 Mtr. away from MSW Dump Site in West direction near <b><u>Circle Jail</u></b> boundary.	Latitude 25.3795 Longitude 77.6437
<b>Location III</b>	100 Mtr. away from MSW Dump Site in North direction near Barodi Residential area.	Latitude 25.3806 Longitude 77.6458
<b>Location IV</b>	100 Mtr. away from MSW Dump Site in South direction	Latitude 25.375489 Longitude 77.647279
<b>Location V</b>	500 Mtr. away from MSW Dump Site in South- East direction Near CIAT School, Gate No. 1	Latitude 25.369274 Longitude 77.645355

## Ambient air quality Monitoring Results.

Parameters	Location					Standard (NAAQS)
	Location I	Location II	Location III	Location IV	Location V	
PM10 (µg/m <sup>3</sup> )	97.0	156.0	94.0	168.0	148.0	100 (µg/m <sup>3</sup> )
PM2.5 (µg/m <sup>3</sup> )	32.0	65.0	36.0	67.0	63.0	60(µg/m <sup>3</sup> )
SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	12.0	14.50	11.0	12.50	12.80	80 (µg/m <sup>3</sup> )
NO <sub>X</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	20.70	24.0	18.0	26.50	23.0	80 (µg/m <sup>3</sup> )
AQI	97.0 (satisfactory)	137.0 (moderate)	94.0 (satisfactory)	145.0 (moderate)	132.0 (moderate)	

Due to the burning of legacy waste in the windward direction i.e., from north to south and fluctuating in the SW & SE direction the values of PM10 & PM2.5 are exceeding from the standards prescribed by CPCB.

### Identification of land & inclusion in city master plan or city development plan:-

Planning for solid waste management treatment & processing Facilities should begin with the identification of suitable land duly allowing adequate buffer areas as per Schedule -I of Solid waste management rules 2016 (specification for sanitary landfills).

The city master plan & town planning or spatial planning maps should identify & reserve such land for Solid waste management facilities. The requirement of land is to be calculated based on a tentative assessment of possible disposal options available to the ULB. Land clearance from concerned by the ULB at the earliest possible instance, thereby avoiding in advertent delays during the implementation process. Establishment of Solid waste management processing & disposal facilities should be based on environmental consideration.

Earlier joint Committee reviewed the city development plan of Shivpuri-2035 & observed that the area of dump site is not earmark in the clearly in approved plan. Copy of City development plan map is attached as **Annexure 10.**

**Environmental Compensation: -**

The details of environmental compensation imposed against Municipal Council, Shivpuri in compliance with the orders dated 25.02.2020, 28.02.2020 and 14.12.2020 passed in case number OA 606/2018 of Hon'ble NGT (PB), New Delhi are as follows **Annexure 11 and 12.**

<b>Ho PCB Letter No. and date</b>	<b>Period</b>	<b>Environmental compensation Amount</b>
Letter No. /174MSW/HOPCB/2021 Bhopal date 24.12.2021	30.06.2020 To 31.12.2020 (06 Month)	Rs. 66.00 lakh
Letter No. /1614MSW/HOPCB/2022 Bhopal date 11.05. 2022	01.01.2021 To 30.06.2021 (06 Month)	Rs. 66.00 lakh
<b>Total</b>		<b>Rs. 132.00 lakh</b>

The Collector, Shivpuri has written a letter to Tehsildar, Shivpuri for recovery of environmental compensation vide letter DUDA/2025/263 dated 03.04.2025. The information is attached to **Annexure 13.**

Tehsildar, Shivpuri has issued a demand letter to CMO, Municipal Council, Shivpuri vide DD letter no. 364 date 23.04.2025 under section 146 of Madhya Pradesh Land Revenue Code. Copy of letter is enclosed as **Annexure 14.**

**Details of Court case file against the Municipal Council, Shivpuri:-**

MP Pollution Control Board has filed court case against Municipal Council, Shivpuri in violation of provisions of Solid Waste Management Rules 2016 under Sections 15, 16, 17 and 21 of the Environment (Protection) Act 1986 before the Hon'ble Chief Judicial Magistrate, Shivpuri on dated 08.07.2024 (CNR No. MP 33010038942024) **Annexure 15.**

**Recommendation:-**

1. For immediate relief from odour & flies nuisance the local body shall be directed to start spray of deodorizing & disinfection on the active dump.
2. The local body shall immediately identify & develop new suitable site in accordance with the SWM rules 2016.
3. The legacy waste dumped on the site shall be immediately processed & site to be cleaned to relief the surrounding habitats.
4. The local body shall constitute environmental cell headed by at least one class one officer qualified in environmental field to train the staff & the person engaged in collection & transportation of MSW along with operation of MRF & SLF in accordance with the MSW rules 2016. Earlier the joint Committee reviewed the city development plan of Shivpuri-2035 & observed that the area of dump site is not earmark in the approved plan. Copy of City development plan is attached as **Annexure 10.**



(Bhupendra Singh Narwaria)  
Asst. Engineer (Contract)



(DVS Jatav)  
Regional Officer

Item No. 03

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**  
(Through Video Conferencing)

**Original Application No. 157/2024(CZ)**

Aditya Shrivastava & Anr.

Applicant(s)

Vs.

Urban Administration & Development  
Department, Govt. of M.P. & Ors.

Respondent(s)

**Date of Hearing: 22.04.2025**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

For Applicant(s):

Mr. Abhay Jain, Adv.  
(with Ms. Rashika Narain, Adv.)

For Respondent(s):

Mr. Jahoor Qureshi, Adv.  
Mr. Mehul Bhardwaj, Adv.  
Ms. Parul Bhadoria, Adv.  
Mr. IVO M.S. D'costa, Adv.

**ORDER**

1. Learned counsel for the applicant has filed the objection against the report of the joint committee. Copy of the same be provided to the opposite parties. Affidavit with regard to service on respondent.
2. The representative of the CRPF (officer) attended the proceedings through video conference and submitted various problems and air pollution causing administrative and practical difficulties while giving training to the CRPF training personnels due to solid waste burning and non-compliance of the Municipal Solid Waste Rules, 2016.
3. The Regional Officer of State PCB is directed to visit the site and submit the report after examining the status in the area where the CRPF Training Centre is situated. The report be submitted within three weeks.

4. In the meantime, Municipal Corporation is directed to take immediate steps for disposal of solid waste in accordance with the MSW Rules, 2016 and take immediate steps to remove the odor nuisance and to start spray of deodorizing and disinfection on the active dump. The legacy waste dumped on the site shall be immediately processed and cleaned in accordance with the rules. Legacy waste should be disposed in accordance with law and to ensure that there shall not be any burning of solid waste.

List it on **18<sup>th</sup> July, 2025.**

**Sheo Kumar Singh, JM**

**Dr. Senthil Vel, EM**

22<sup>nd</sup> April, 2025  
O.A No. 157/2024(CZ)  
PN

जनसंख्ये विभाग, जिला गिबपुरी, म.प्र.

प्र.सं. 3/2003-04/बी-121

तहसील गिबपुरी ग्राम झीदी के सर्वे नंबर 550 रकबा 9.897 हेक्टर में से रकबा 4.672 हेक्टर भूमि नगरीय ठोस अपशिष्ट के भंडारण करने हेतु सुरक्षित करने कायदा ।

:-आदेश:-

। आज दिनांक 20-8-2004 को पारित।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी, गिबपुरी द्वारा तहसील गिबपुरी ग्राम झीदी के सर्वे नंबर 550 रकबा 9.897 हेक्टर में से रकबा 4.672 हेक्टर भूमि नगरीय ठोस अपशिष्ट के भंडारण करने हेतु सुरक्षित रखे जाने की मांग की गई है ।

2- संबंधित अनुविभागीय अधिकारी गिबपुरी एवं नाबव तहसीलदार गिबपुरी की ओर से प्राप्त प्रकरण का अवलोकन किया जाा । जिसमें नाबव तहसीलदार द्वारा ग्राम झीदी के सर्वे नंबर 550 में से रकबा 4.672 हेक्टर भूमि ठोस अपशिष्ट के भंडारण हेतु सुरक्षित रखे जाने की अनुमति की गई है।

3- अतः प्रस्तावित भूमि पर नगरपालिका गिबपुरी विधित् बोझा बनाकर कभी निर्माण न करने और कोई जब प्राप्त न करने की अर्त पर तहसील गिबपुरी ग्राम झीदी के सर्वे नंबर 550 रकबा 9.897 हेक्टर में से रकबा 4.672 हेक्टर भूमि नगरीय ठोस अपशिष्ट के भंडारण करने हेतु सुरक्षित की जाती है ।

sd/

जोकर,

जिला गिबपुरी, म.प्र.

गिबपुरी, दिनांक 20/8/2004

प्र.सं. 3/2003-04/बी-121

प्रतिबिधि:-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी, गिबपुरी ।
- 2- परिवर्धना अधिकारी, गिबपुरी विकास अधिकरण, गिबपुरी ।
- 3- तहसीलदार गिबपुरी की ओर पालनार्थ । तदनुसार राक्षस अधिकारी में अर्त करवाकर संबंधित द्वारा प्रति भिजवाए ।  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद गिबपुरी की पालनार्थ ।

जोकर,

जिला गिबपुरी, म.प्र.

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0026/अ-20(5)/2023-24 / 84

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल (म.प्र.)  
द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद शिवपुरी (म.प्र.)  
(ट्रेचिंग ग्राउंड विस्तार हेतु भूमि आवंटन बाबत)

(आज दिनांक..... 13/06/2024 //आदेश// .....को पारित)

नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद शिवपुरी (म.प्र.) की ओर से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25/07/2023 प्रस्तुत कर ग्राम मगरोरा तहसील शिवपुरी नगर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 233 रकबा 3.26 है. नोइयत पठार में से 2.00 है. भूमि ट्रेचिंग ग्राउंड विस्तार हेतु आवंटन किये जाने की मांग की गई।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी से प्रतिवेदन तलब किया गया, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 0015/अ-20(5)/2023-24 प्रतिवेदन दिनांक 27/05/2024 से तहसीलदार शिवपुरी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को अग्रेषित किया गया है।

प्रकरण में तहसीलदार शिवपुरी का प्रतिवेदन संलग्न है जिसमें लेख है कि, ग्राम मगरोरा तहसील शिवपुरी नगर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 233 रकबा 3.26 है. में से 2.00 है. भूमि ट्रेचिंग ग्राउंड विस्तार हेतु आवंटन के संबंध में इशतहार जारी किया गया, नियत अवधि में कोई आपति प्राप्त नहीं हुई, आवेदित भूमि खसरा अभिलेख बर्ष 2024-25 में शासकीय पठार के रूप में दर्ज है एवं अधिकार अभिलेख बर्ष 1972-73 में शासकीय पठार के रूप में दर्ज है। आवेदित भूमि में से सी.आई.ए.टी. (CRPF) के लिये एक पक्की सड़क जाती है। प्रस्तावित भूमि का अक्श नक्शा व नकल खसरा संलग्न है। प्रस्तावित भूमि से निकटवर्ती भूखण्ड धारकों के अधिकार प्रभावित नहीं है। प्रस्तावित भूमि में से कोई नदी नाला, जल स्रोत, जलीय संरचना स्थित नहीं है। प्रस्तावित भूमि में कोई धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद आदि नहीं है। प्रस्तावित भूमि से हाईटेंशन विद्युत लाईन नहीं है। प्रस्तावित भूमि जंगल मद एवं वन विभाग की नहीं हैं। प्रकरण में नगरपालिका शिवपुरी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया जो प्रकरण संलग्न है पटवारी ग्राम से प्रारूप दो, तीन पर जानकारी तैयार कराई गई, प्रारूप प्रकरण में संलग्न है खसरा एवं अक्श नक्शा लाल स्याही से चिह्नित होकर प्रति संलग्न है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रतिवेदन में तहसीलदार शिवपुरी ने लेख किया है कि, आवेदित भूमि में से सी.आई.ए.टी. (CRPF) के लिये एक पक्की सड़क जाती है। जिसके संबंध में पुनः अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी से कार्यालयीन पत्र क्रं/नजूल/2024-25/72 दिनांक 07/06/2024 से भूमि आवंटन पश्चात सी.आई.ए.टी. (CRPF) का आवागमन प्रभावित तो नहीं होगा के संबंध में प्रतिवेदन चाहा गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी ने पत्र क्रं/री-1/एस.डी.ओ/2024/1224 दिनांक 12/06/2024 प्रेषित कर लेख किया है कि, भूमि आवंटित होने से सी.आई.ए.टी. (CRPF) का रास्ता प्रभावित नहीं होता है।

प्रकरण में आवेदित भूमि ट्रेचिंग ग्राउंड विस्तार हेतु आवंटित किए जाने के संबंध में जिला नजूल निर्वर्तन समिति शिवपुरी के समक्ष प्रकरण रखा गया। समिति द्वारा ट्रेचिंग ग्राउंड विस्तार हेतु अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि आवंटित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी व तहसीलदार शिवपुरी के प्रतिवेदन, जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा, नगर तथा ग्राम निवेश गुना की अनापत्ति एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद शिवपुरी की अनापत्ति के आधार पर ग्राम मगरौरा तहसील शिवपुरी नगर की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 233 रकबा 3.26 है. नोइयत पठार में से 2.00 है. ट्रेडिंग ग्राउंड विस्तार हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-1 एवं मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय 04 की कंडिका 92 के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल (म.प्र.) को बिना प्रब्याजी एवं भू-भाटक से मुक्त निम्न शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है।

1. स्थल पर पंहुच हेतु कम से कम 12.00 मीटर चौड़ा मार्ग या मार्ग संधारण अथॉरिटी द्वारा निर्धारित मार्ग चौड़ाई जो भी अधिक हो उपलब्ध होना चाहिए;
2. जल भराव, डूब क्षेत्र व विधुत प्रभावित क्षेत्र में यह अनापत्ति मान्य नहीं होगी;
3. प्रश्नाधीन भूमि पूर्व में किसी अन्य प्रयोजन हेतु आवंटित न हो;
4. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन किया जाना आवश्यक होगा;
5. भूमि जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की जा रही है, उसका उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा;
6. किसी भी प्रकार का निर्माण एवं विकास कार्य करने से पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश गुना से अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा;

प्रकरण में संलग्न अक्श-नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार शिवपुरी आवंटित भूमि का खसरे में अमल कराये एवं संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर आधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न कराये। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

  
(रवीन्द्र कुमार चौधरी)  
कलेक्टर  
जिला शिवपुरी (म.प्र.)  
शिवपुरी दिनांक 13/06/2024



1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. तहसीलदार शिवपुरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि भूमि का राजस्व अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर आधिपत्य दिलाये एवं रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
6. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अधीक्षक भू-अभिलेख शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. राजस्वनिरीक्षकनजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
कलेक्टर  
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

150  
AS  
18/6/24

**Images taken by drone camera showing the current situation around the municipal solid waste dumping site:-**



# कायोलय नगर पालिका परिषद शिवपुरी (म०-प्र०)

क्रमांक/न.पा.प. & // 2025

शिवपुरी दिनांक 26-04-2025

प्रति

क्षेत्रीय अधिकारी

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

विजयपुर जिला गुना (म प्र)

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (सी जेड) के प्रकरण क्रमांक ओ ए 157/2024 के संबंध में वार्ड क्रमांक 16 ट्रेचिंग ग्राउण्ड बडौदी के संबंध में जानकारी ।

सर्दभ:- दिनांक 26.04.2025 को संयुक्त निरीक्षण के दौरान चाही गई जानकारी।

उपरोक्त बिषयातंगत लेख है कि वर्तमान में शिवपुरी शहर की अनुमानित जनसंख्या लगभग 2.50 लाख है जिससे प्रतिदिन लगभग 72 टन कचरा निकलता है। ट्रेचिंग ग्राउण्ड बडौदी के संबंध में चाही गई जानकारी निम्नानुसार है:-

ट्रेचिंग ग्राउण्ड हेतु भूमि आवंटन के संबंध में जानकारी:-

कार्यालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म प्र) के पत्र क्रमांक 214/3/2003-4/वी- 121 शिवपुरी, दिनांक 20.08.2004 द्वारा ग्राम बडौदी के सर्वे नम्बर 550 रकवा 9.897 हेक्टेयर में से रकवा 4.572 हेक्टेयर भूमि नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण हेतु सुरक्षित करते हुये तत्कालीन माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा नगर पालिका परिषद शिवपुरी को प्रदाय की गई जहाँ ट्रेचिंग ग्राउण्ड स्थित है। निकाय को वर्ष 2024 में दो हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा ट्रेचिंग ग्राउण्ड के लिये प्रदाय की गई है। जिसका सीमांकन होना बांकी है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहण हेतु इन्फास्ट्रक्चर

निकाय के लगभग 32 कचरा गाडी, 2 डम्पर 7 ट्रेक्टर ट्रॉली वाहनों एवं लगभग 400 सफाई संरक्षकों के द्वारा प्रतिदिन इकठ्ठा किया जाने वाला घरेलु ठोस अपशिष्ट ट्रेचिंग ग्राउण्ड में लाया जाता है। निकाय द्वारा गीले कचरे एकत्र करने के लिये एक विशेष गौरोटी बैंक नामक वाहन चलाया जाता है, जिसमें खाने योग्य गीले खाद्य सामग्री, फलों के छिलके, सब्जियों को एकत्र कर गौशाला पहुँचाया जाता है।

ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर स्थापित प्लांट मशीनरी की जानकारी

ट्रेचिंग ग्राउण्ड के चारों ओर बाउन्ड्री पक्की बनी हुई है, तथा मुख्य द्वार पर लोहे का गेट भी लगा हुआ है। निकाय क्षेत्रांतर्गत निकलने वाले घरेलु गीले एवं सूखे कचरे के प्रसंस्करण के लिये ट्रेचिंग ग्राउण्ड बरौदी पर निम्न प्रसंशकरण इकाईयां है:-

(अ) एम आर एफ प्लांट - क्षमता 40 टी पी डी विगत दो वर्षों से स्थापित है

(ब) वेट वेस्ट कम्पोस्ट प्लांट - क्षमता 65 टी पी डी विगत दो वर्षों से स्थापित है

(स) सी एण्ड डी कलेक्शन पाईट - क्षमता 20 टी पी डी विगत पांच वर्षों से स्थापित है

(द) एफ एस टी पी प्लांट - क्षमता 80 के एल डी विगत पांच वर्षों से स्थापित है

लीगेसीवेस्ट के प्रसंस्करण एवं डिस्पोजल के संबंध में जानकारी

वर्तमान में ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर डम्पसाईड रेमेडिएशन के कार्य हेतु फर्म मेसर्स इन्वायरमेन्टल टेक्नो शांतिनिकेतन अपार्टमेन्ट आगरा (उ प्र) को कार्यादेश जारी किया गया है। संबंधित ऐजन्सी को लेगेसी वेस्ट

वर्तमान में ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर डम्पसाईड रेमेडिएशन के कार्य हेतु फर्म मेसर्स इनवायरमेन्टल टेक्नो शांतीनिकेतन अपार्टमेन्ट आगरा (उ प्र) को कार्यादेश जारी किया गया है। संबंधित एजेन्सी को लेगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग की विधिवत अनुमति लेने हेतु पत्र क्रमांक 1097 दिनांक 27.02.2025 एवं 1876 दिनांक 24.04.2025 जारी किये गये हैं तथा अनुमति प्राप्त न होने तक कार्य पूर्णरूप से बंद करने हेतु पत्र 1876 दिनांक 24.04.2025 द्वारा निदेशित किया जा चुका है। लेगेसीवेस्ट प्रोसेसिंग से निकलने वाले इनर्ट मटेरियल, सी एण्ड डी वेस्ट एवं आर डी एफ मात्रा एवं डिस्पोजल की जानकारी संबंधित एजेन्सी से अप्रप्त है। जो प्राप्त होने पर उपलब्ध करादी जावेगी।



मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद शिवपुरी

# कार्यालय नगर पालिका परिषद शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक / न.पा.प. / ५११५ / २०२४

शिवपुरी, दिनांक ०५/१०/२५

## कार्यादेश

प्रति,

### Environmental techno

शांति निकेतन अपार्टमेंट, आगरा (उत्तरप्रदेश)

विषय:- नगर पालिका परिषद शिवपुरी में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अंतर्गत कचरा निष्पादन कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में।

संदर्भ:- SLTC की बैठक दिनांक 09/09/2024 में दर स्वीकृत के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अंतर्गत Legacy waste dumpsite remediation through bioremediation booming and disposal of residual waste in nagar palika parishad shivpuri कार्य हेतु निविदा क्रमांक 2023\_UAD\_261308\_3 में आपकी दर 30176023.68 (23.08 प्रतिशत कम) SLTC की बैठक दिनांक में स्वीकृत हुई है। SLTC की बैठक में दर स्वीकृती के क्रम में आपकी ओर LOA पत्र क्रमांक 4084 दिनांक 20/09/2024 जारी किया गया। तदनुसार आपके द्वारा दिनांक-04.10.2024 को अनुबंध सम्पादित किया गया है।

अतः आप निविदा में उल्लेखित कार्य निविदा में दी गई शर्तों/क्लौज अनुसार कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद शिवपुरी  
शिवपुरी दिनांक ०५/१०/२५

पृक्रमांक / न.पा.प. / ५११६ / २०२४

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
4. अधीक्षण यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
5. अधीक्षण यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. अध्यक्ष महोदय नगर पालिका परिषद शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
7. कार्यपालन यंत्री नगर पालिका परिषद शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
8. सहायक यंत्री नगर पालिका परिषद शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
9. लेखाशाखा नगर पालिका परिषद शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
10. उपयंत्री श्री..... नगर पालिका परिषद शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।


मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद शिवपुरी


हम लिखते हैं पंचान सभी के समक्ष आज दिनांक 26/04/2025 की मां राष्ट्रीय क्षरत अधिकरण प्रकरण क्रमांक 157/2024 के पारित आदेश दिनांक 22/04/25 के अनुपालन में द्रेंचिंग ग्राउंड नगर पालिका परिषद सिवपुरी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान नगर पालिका सिवपुरी की ओर से श्री सचिन चौहान, प्रभारी सी.एम.ओ., सी.आई.ए.टी स्कूल सीआरपीएफ की ओर से श्री पवन कुमार सिंह सहा. प्रजाडेन्ट और सफल जेल की ओर से श्री रामशोभान पाठे उप अधीक्षक उपस्थित हुए। निरीक्षण के समय स्कूल के ड्रोन के माध्यम से कीटियो शाफी एवं फांग शाफी आई गई। तथा निरीक्षण के समय खग्वंछिता धारा बहाई गई जानकारी एवं स्कूल पर पाई गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

द्रेंचिंग ग्राउंड - श्री सचिन चौहान, प्रभारी सीएमओ द्वारा बताया गया वर्ष 2004 से संचालित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 6.3 एकड़ है (फुफ्टहेक्टेयर) वर्तमान में द्रेंचिंग ग्राउंड पर लगभग 60,000 मे.टन लीगोसी वेस्ट के रूप में रखा हुआ है। द्रेंचिंग ग्राउंड पर STP प्लांट (80KLD) है। वेस्ट वेस्ट क्षमता लगभग 6.5 TPD लीगोसी वेस्ट के निपटान हेतु मैसर्स Environmental Techno आगर उच्च डां ठेका दिया गया है। जिनके द्वारा साइट पर लीगोसी वेस्ट प्रोसिसिंग का कार्य जनवरी 2025 से प्रारम्भ किया गया है। इस कार्य हेतु 02 टी.जी.सीट क्षमता 62.5 KVA ट्रांसफार्मर, 01 डब्लर, 01 स्कीमिंग प्लांट स्थापित किया गया है। जनवरी-25 से आज दिनांक तक 4,000 मे.टन लीगोसी वेस्ट को प्रोसेस किया गया है। वर्तमान में फ्लिडम द्वारा काम बन्द किया गया है। वर्तमान में 02 हेक्टेयर अमीन राजस्व विभाग द्वारा इसी द्रेंचिंग ग्राउंड के समीप आवंटित की गई है। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 6.5 हेक्टेयर हो जाएगा। द्रेंचिंग ग्राउंड से 500 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 800 मी. दूरी पर सीआईएटी. स्कूल स्थापित हो वर्ष 1993 में रूप बन्दर सी आर पी एफ के रूप में संचालित था वर्ष 2009 में नाम बदलकर सी आई ए टी स्कूल सी आर पी एफ कर दिया गया है। उक्त संस्थान का कुल क्षेत्रफल 264 एकड़ है। जिसमें लगभग 800 से 1000 हेक्टेयर एवं 200 से 250 फेमिली रहती है। 101 फेमिली बगवट रक्षी है, 80 गोरत कम है वर्तमान में डेगपस में आशियन 7500-2000 लोग रहे हैं।


डम्प साइट से उत्तर-पश्चिम दिशा में लगभग 200 मी. दूरी पर स्थित जेल स्थापित है जिसका लोअरिंग 25/02/2019 को हुआ है जिसमें 14 बेडरूम, 01 फेक्ट्री, 01 सभागार, 01 डिनिंग, 40 क्वार्टर्स हैं। जेल में कुकी, स्टाफ एवं फैमिली सहित कुल 500 लोग निवास करते हैं। ~~जेल~~ डम्प साइट से उत्तर-पश्चिम दिशा में 100 मी. की दूरी पर लगभग 400-500 परिवार निवास करते हैं। डम्प साइट पर कचरे में आग सामान्य रूप से लगी रहती है जिससे आस-पास के क्षेत्र में प्रदूषण भी सम्भवा तनी रहती है। डम्प साइट के समीप जेल, बसोकी रहवासी क्षेत्र, सीआइएलडी स्कूल क्षेत्र से वर्तमान डम्प साइट को शहर से बाहर अन्यत्र शिफ्ट किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में लीगेंसी टेस्ट को नियमानुसार जोसेस पर समाप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त पंचनामा सभी के सहमति लिखा गया एवं मौका क्वार्टर जम आगे क्वार्टर पर पट्टर सुनाया गया जो सही है। मौका क्वार्टर जम आगे।

P  
 P.E. N.P.S  
 सचिव, वीडियो  
 प्रकाश C.M.O

  
 पवन कुमार सिंह, सब. कमा.  
 CIAT, इल. CRPF.

  
 आर. एन. पाण्डेय  
 जेल डी. आर. ऑफिस

  
 Ramveer Sharma  
 Sub-Engg. N.P.S

  
 Inspector / AD  
 R.K. Swami  
 (CRPF)

  
 (रमेश चौधरी)  
 जेल अधीक्षक  
 सचिवालय जेल शिवपुरी





## Regional Office, MP. Pollution Control Board

Tanker Parking Area, Gail Complex Vijaypur Distt-Guna (M.P.)-473112

Email-ropcb-guna@mp.gov.in, ro.mppcbguna26@gmail.com

Telephone No.-07544-274098



### AIR MONITORING REPORT

Name of Industry - M.S.W Dumping Site, Barodi, Distt-Shivpuri (M.P.)  
 Date of monitoring - 03.05.2025  
 Date of analysis - 05.05.2025  
 Sample collected by - D.S.Yadav, Chemist & K.B.Sharma, Chemist

#### Ambient Air Monitoring Result

Location -I - 100 mtr away from MSW dump site in East direction near barodi residential area.  
 Location -II - 100 mtr away from MSW dump site in West direction near circle jail boundary.  
 Location -III - 100 mtr away from MSW dump site in North direction near barodi residential area  
 Location -IV - 100 mtr away from MSW dump site in South direction.  
 Location -V - 500 mtr away from MSW dump site in South direction near CIAT school Gate No.01.

Parameter	Unit	Standards (As per NAAQS)	Result				
			Location -I	Location -II	Location -III	Location -IV	Location -V
RSPM (PM <sub>10</sub> )	µg/m <sup>3</sup>	100	97.0	156.0	94.0	168.0	148.0
PM 2.5	µg/m <sup>3</sup>	60	32.0	65.0	36.0	67.0	63.0
SO <sub>2</sub>	µg/m <sup>3</sup>	80	12.0	14.50	11.0	12.50	12.80
NO <sub>x</sub>	µg/m <sup>3</sup>	80	20.70	24.0	18.0	26.50	23.0
AQI			97.0 (Satisfactory)	137.0 (Moderate)	94.0 (Satisfactory)	145.0 (Moderate)	132.0 (Moderate)

Weather - Cloudy.  
 Wind direction - N → S with fluctuations.  
 Wind Speed - 16.8 km /h  
 Humidity - 40 %

  Indicates that the value exceed the permissible limits.


  
 (D.S. Yadav)  
 Chemist

Analysed by  
  
 (K.B. Sharma)  
 Chemist

# SHIVPURI


## 4.1 DEVELOPMENT PLAN 2035

### Proposed Landuse



### Legend

EXISTING		PROPOSED	
<b>RESIDENTIAL</b>			
GENERAL RESIDENTIAL	[Yellow]	सामान्य आवासीय	[Light Yellow]
MIXED LANDUSE	[Yellow with black dots]	विविध उपयोग	[Light Yellow with black dots]
<b>COMMERCIAL</b>			
GENERAL	[Orange]	व्यावसायिक	[Light Orange]
MANDI	[Blue with star]	बाजार	[Light Blue with star]
<b>INDUSTRIAL</b>			
GENERAL INDUSTRIES	[Purple]	औद्योगिक	[Light Purple]
<b>RECREATIONAL</b>			
PARK	[Green]	उद्यान	[Light Green]
AFFORESTATION	[Dark Green]	वृक्षारोपण	[Light Green]
STADIUM	[Green with white lines]	खेल मैदान	[Light Green with white lines]
<b>PUBLIC &amp; SEMIPUBLIC</b>			
PUBLIC INSTITUTIONS AND ADMINISTRATIVE AREA/ EDUCATION AND RESEARCH/ HEALTH/SOCIAL/CULTURAL INSTITUTIONAL ACTIVITIES	[Red]	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	[Light Red]
<b>SPECIAL PURPOSE</b>			
RESERVED FOREST	[Dark Green]	विशेष सार्वजनिक	[Light Green]
<b>TRANSPORTATION</b>			
BUS STAND	[Square with lines]	परिवहन	[Light Square with lines]
ROADS	[Double line]	सड़क	[Light Double line]
RAILWAY STATION	[Square with cross]	रेलवे स्टेशन	[Light Square with cross]
RAILWAY LINE	[Dashed line]	रेलवे लाइन	[Light Dashed line]
TRANSPORT NAGAR	[Square with circle]	परिवहन नगर	[Light Square with circle]
AIRPORT	[Square with cross]	हवाई अड्डा	[Light Square with cross]
BRIDGE	[Square with lines]	पुल	[Light Square with lines]
PARKING	[Square with lines]	वाहन विराम स्थल	[Light Square with lines]
<b>PUBLIC UTILITIES &amp; FACILITIES</b>			
WATER TREATMENT PLANT	[Square with lines]	सार्वजनिक सिंचन एवं सुविधाएँ	[Light Square with lines]
ELECTRIC SUB STATION	[Square with lines]	ऊँचा वोल्टेज सबस्टेशन	[Light Square with lines]
CREMATORIUM/ GRAVE YARD	[Square with lines]	विश्राम स्थल/ कब्रिस्तान	[Light Square with lines]
<b>WATERBODIES</b>			
LAKES/PONDS/ RESERVOIRS	[Blue wavy lines]	झील / तालाब / जलाशय	[Light Blue wavy lines]
NALA/CANAL	[Blue line]	नाला / नहर	[Light Blue line]
<b>AGRICULTURE</b>			
BOUNDARIES			
PLANNING AREA	[Dashed line]	सिमाएँ	[Light Dashed line]
VILLAGE	[Dotted line]	ग्राम	[Light Dotted line]
MUNICIPAL	[Dotted line]	नगर सीमाएँ	[Light Dotted line]



Landuse & Urban Survey Division  
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal

Source: WV II Satellite 2016 Data & Archive Master File

**MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016

Phone (0755)-2466191, 2464428, Fax (0755)-2463742, E- mail:mswmpcb18@gmail.com  
174/MSW/HOPCB/2021

Bhopal, Date: 24 /12 /2021

No.

To,

The Chief Municipal Officer,  
Nagar Palika Parishad,  
Shivpuri,  
Distt.- Shivpuri (M.P.)



**Sub:** Execution of the directions passed by Hon'ble National Green Tribunal imposing Environment Compensation for the period 01/07/2020 to 31/12/2020 for violating the provisions of Solid Waste Management Rules 2016.

**Ref:** 1. NGT orders dated 25.02.2020, 28.02.2020 & 14.12.2020 in OA No. 606/2018 "Compliance of Municipal Solid Waste Management rules, 2016".  
2. This office letter No. 62/HOPCB/2021 Bhopal Dated 01/03/2021

WHEREAS MP Pollution Control Board (MPPCB) is a statutory body constituted under section 4 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and has been entrusted with the responsibilities of enforcement of the Environment Laws prevailing in the state.

WHEREAS, the power to issue directions under section-5 of the Environment (Protection) Act, 1986 has been delegated to the Chairman, MPPCB vide notification dated 10.04.2001.

WHEREAS, you are the Urban Local Body- Nagar Nigam/ Nagar Palika Parishad / Nagar Parishad/ Cantonment Board and it is the mandatory duty of Urban Local Bodies/ Cantonment Board to comply with the Solid Waste Management Rules, 2016.

WHEREAS, you have not obtained authorization as per the provision of Solid Waste Management Rules, 2016 from the MPPCB.

WHEREAS, in OA No. 606/2018, "Compliance of Solid Waste Management Rules, 2016 and other environment issues", Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi has directed on 17/01/2020 & 25/02/2020 that :-

1. After 31.03.2020 failure to comply with Rule 22 of SWM Rules, from Serial No. 1 to 10, every local body shall be liable to pay compensation at the rate of Rs. 10 Lakh per month per local body for population of above 10 lakhs, Rs. 5 lakh per month per local body for population between 5 lakhs and 10 lakhs and Rs. 1 lakh per month per other local body from 01.04.2020 till compliance.
2. Continued failure of every local body on the subject of commencing the work of legacy waste sites remediation from 01.04.2020 till compliance will result in liability to pay compensation at the rate of Rs. 10 lakh per month per local body for population of above 10 lakhs, Rs. 5 lakh per month per local body for population between 5 lakhs and 10 lakhs and Rs. 1 lakh per month per other local body.
3. Commencement of setting up of STPs by 31.03.2020 – Compensation is payable for failure to do so at the rate of Rs. 5 lakh per month per STP by concerned local bodies/State (in terms of orders dt 28.08.2019 in O.A No 593/2017 and 06.12.2019 in O.A. No 673/2018) w.e.f. 01.04.2020.

21/12/2021

# MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016

Phone (0755)-2466191, 2464428, Fax (0755)-2463742, E-mail:mswmpcb18@gmail.com



4. Interim measures for phytoremediation/bioremediation etc. in respect of 100% sewage to reduce the pollution load on recipient water bodies shall be under taken by 31.03.2020. Compensation is payable for failure to do so at the rate of Rs. 5 lakh per month per drain by concerned local bodies/States (in terms of orders dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 and 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018) w.e.f. 01.04.2020.

WHEREAS, NGT vide its order dated 14/12/2020 has extended the time line for levy of compensation from 01/04/2020 to 01/07/2020.

WHEREAS, State PCB has been directed by NGT vide order dated 28.02.2020 to assess and recover the amount of compensation liable to be paid by the Urban Local Bodies on the basis of above criteria.

WHEREAS, as per report of the site inspection dated 11.12.20 carried out by Regional Office, MPPCB, Guna it is observed that you have not complied with the tasks & timelines given by the Hon'ble NGT for period 30.06.2020 to 31.12.2020 as per details given below :-

Non Compliance									
ULB Name	District	Rule 22 of SWM Rules 2016		Legacy Waste disposal Compensation (Rs In lakh)	Bioremediation of Drains		Commencement of STP installation		Total (Rs In lakh)
		S.No of Non Compliance	Compensation (Rs In lakh)		No of Drains	Compensation (Rs In lakh)	No of STPs	Compensation (Rs In lakh)	
Shivpuri	Shivpuri	2,6,8,10	6	0	1	30	1	30	66

WHEREAS, till date no reply of above referred notice dated 01.03.2021 has been received from you end. Whereas the Commissioner Urban Administration & Development Department, Govt. of MP has been requested vide letter no. 167 dt. 12/11/2021 to direct the Urban local bodies to deposit the amount of environmental compensation. In this respect Additional Commissioner Urban Administration Directorate has directed you vide letter sha-14/SBM/2021/2150 dt.17-12-2021 to take cognizance and comply as per law;

*You are hereby directed to pay Environment Compensation of Rs.66 Lakhs for period of violation from 01.07.2020 to 31.12.2020 i.e. 06 months within 15 days from the date of issue these directions, in the P.D. account number 051/1121/2109 of Additional Secretary Environment Department in Vindhyachal Treasury, Vindhyachal Bhawan Bhopal.*

This issues with the approval of the competent authority. Kindly acknowledge the receipt of this letter.

For and On Behalf of  
M.P. Pollution Control Board

(A.A. Mishra)  
Member Secretary

Copy to :-

The Regional Officer, M. P. Pollution Control Board, Guna for information & necessary action please.

**MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-46201  
Phone (0755)-2466191, 2464428, Fax (0755)-2463742, E-mail:mswn

Azadi Ka  
Amrit Mahotsav

l.com

Bhopal, Da

11 MAY 2022

No. 1614/MSW/HOPCB/2022

To,

The Chief Municipal Officer,  
Nagar Palika Parishad,  
Shivpuri,  
Distt.- Shivpuri (M.P.)

Sub: Imposition of Environmental Compensation for the period 01.01.2021 to 30.06.2021 due to violation of directions of the Hon'ble National Green Tribunal and the provisions of Solid Waste Management Rules, 2016 U/s 5 of Environmental (Protection) Act, 1986: - Notice there of.

Ref: 1. NGT orders dated 25.02.2020, 28.02.2020 & 14.12.2020 in O.A. No. 606/2018 "Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016".  
2. This office letter No. 174/MSW/HOPCB/2021 Bhopal Dated 24/12/2021

WHEREAS MP Pollution Control Board (MPPCB) is a statutory body constituted under section 4 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and has been entrusted with the responsibilities of enforcement of the Environment Laws in the State.

WHEREAS, the power to issue directions under section-5 of the Environment (Protection) Act, 1986 has been delegated to the Chairman, MPPCB vide notification dated 10.04.2001.

WHEREAS, you are the Nagar Nigam/ Nagar Palika Parishad / Nagar Parishad/ Cantonment Board and it is the mandatory duty of Urban Local Bodies/ Cantonment Board to comply with the Solid Waste Management Rules, 2016, as well as management & treatment of sewage of the town & to protect the natural water bodies from pollution.

WHEREAS, you have not obtained authorization as per the provision of Solid Waste Management Rules, 2016 from the MPPCB.

WHEREAS, in O.A. No. 606/2018, "Compliance of Solid Waste Management Rules, 2016 and other environment issues" Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi has directed on 17/01/2020 & 25/02/2020 that :-

1. After 31.03.2020 failure to comply with Rule 22 of SWM Rules, from Serial No. 1 to 10, every local body shall be liable to pay compensation at the rate of Rs. 10 Lakh per month per local body for population of above 10 Lakhs, Rs. 5 lakh per month per local body for population between 5 Lakhs and 10 Lakhs and Rs. 1 lakh per month per other local body from 01.04.2020 till compliance.
2. Continued failure of every local body on the subject of commencing the work of legacy waste sites remediation from 01.04.2020 till compliance will result in liability to pay compensation at the rate of Rs. 10 lakh per month per local body for population of above 10 Lakhs, Rs. 5 lakh per month per local body for population between 5 Lakhs and 10 Lakhs and Rs. 1 lakh per month per other local body.
3. Commencement of setting up of STPs by 31.03.2020 - Compensation is payable for failure to do so at the rate of Rs. 5 lakh per month per STP by concerned local bodies/State (in terms of orders dt 28.08.2019 in O.A. No 593/2017 and 06.12.2019 in O.A. No 673/2018) w.e.f. 01.04.2020.
4. Interim measures for phytoremediation/bioremediation etc. in respect of 100% sewage to reduce the pollution load on recipient water bodies shall be undertaken by 31.03.2020. Compensation is payable for failure to do so at the rate of Rs. 5 lakh per month per drain by concerned local bodies/Stated (in terms of orders dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 and 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018) w.e.f. 01.04.2020.

C:\Users\mppcb\Desktop\ALL\Letter CI-252

M. K. Sharma  
31/5/22

# MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016

Phone (0755)-2466191, 2464428, Fax (0755)-2463742, E-mail: mswmppcb18@gmail.com

WHEREAS, State PCB has been directed by NGT vide order dated 28.02.2020 to assess and recover the amount of compensation liable to be paid by the Urban Local Bodies on the basis of above criteria.

WHEREAS, NGT vide its order dated 14/12/2020 has extended the time line for levy of compensation from 01/04/2020 to 01/07/2020.

And where as Hon'ble NGT vide its order dated 10/01/2020 has directed in para 36 (a) that "if the local bodies are unable to bear financial burden, the liability will be of the State Government with liberty to take remedial action against the erring local bodies".

WHEREAS, as per report of the site inspection dated 10.06.2021 carried out by Regional Office, MPPCB, Guna, it is observed that you have not complied with the tasks & timelines given by the Hon'ble NGT for period 01.01.2021 to 30.06.2021 and you are liable to pay environment compensation as per table given below :

Non Compliance									
ULB Name	District	Rule 22 of SWM Rules 2016		Legacy Waste disposal Compensation (Rs In lakh)	Bioremediation of Drains		Commencement of STP installation		Total (Rs In lakh)
		S.No of Non Compliance	Compensation (Rs In lakh)		No of Drains	Compensation (Rs In lakh)	No of STPs	Compensation (Rs In lakh)	
Shivpuri	Shivpuri	2, 10	6	0	1	30	1	30	66

WHEREAS, MPPCB vide this office letter No. 174 dt. 24/12/2021 has already directed you to pay Environment Compensation of Rs.66 Lakhs for period of violation from 01.07.2020 to 31.12.2020 within 15 days from the date of issue of the directions, in the P.D. account number 051/1121/2109 of Additional Secretary Environment Department in Vindhyachal Treasury, Vindhyachal Bhawan Bhopal, which has not been deposited so far.

You are hereby given an opportunity of 15 days to submit your reply/objections (if any) pertaining to above Stated non compliance and deposition of the levied environmental compensation amount for the period of 01/01/2021 to 30/06/2021.

In case no reply is received within 15 days from the date of issue of this notice, above proposed Environment Compensation shall be confirmed and action is also liable to be initiated against the responsible officers under section-17 of the Environmental(Protection) Act,1986.

This issues with the approval of the competent authority. Kindly acknowledge the receipt of this letter.

For and On Behalf of  
M.P. Pollution Control Board

  
(A.A. Mishra)  
Member Secretary

Copy to :-

The Regional Officer, M. P. Pollution Control Board Guna, for information & necessary action please.

# कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) जिला शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक/डूडा/2025/263

शिवपुरी दिनांक 03/04/2025

प्रति,

तहसीलदार  
तहसील शिवपुरी

विषय:- नगरपालिका परिषद, शिवपुरी के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर जिला गुना का पत्र क्रमांक/1092/क्षे.कार्या./म.प्र.प्र.नि.बो./2024/गुना दिनांक 22.11.2024

-00-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके द्वारा मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 606/2018 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2020, 28.02.2020 एवं 14.12.2024 के अनुपालन में नगरपालिका परिषद शिवपुरी के विरुद्ध अधिरोपित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का विवरण निम्नानुसार प्राप्त हुआ है:-

बोर्ड मुख्यालय के पत्र क्रमांक	अवधि	अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि
पत्र क/174/MSW/HOPCB/2021 भोपाल दिनांक 24.12.2021	01.07.2020 से 03.12.2020 (06माह)	रु 66.00 लाख
पत्र क/1614/MSW/HOPCB/2022 भोपाल दिनांक 11.05.2022	01.01.2021 से 30.06.2024 (06माह)	रु 66.00 लाख
		कुल राशि रु. 132 लाख

उपरोक्तानुसार नगरपालिका शिवपुरी के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु राशि रु 132 लाख रूपए की आर.आर.सी.जारी की गई है।

अतः आप नगरपालिका शिवपुरी से उक्त धनराशि वसूल कर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाता क्रमांक- 6310001200000043 आईएफएससी कोड -PUNB0631000 पंजाब नेशनल बैंक, एम्को शाहपुरा अरेरा कॉलौनी भोपाल में जमा कराने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय उपलब्ध करावें।

संलग्न :- आर.आर.सी.

(उमेशचन्द्र कौरव)

डिप्टी कलेक्टर/प्रभारी अधिकारी  
जिला शहरी विकास अभिकरण  
जिला-शिवपुरी

शिवपुरी दिनांक 03/04/2025

पृ.क्रमांक/डूडा/2025/263

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य/सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर जिला गुना की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

डिप्टी कलेक्टर/प्रभारी अधिकारी  
जिला शहरी विकास अभिकरण  
जिला-शिवपुरी

**राजस्व रिकवरी सर्टिफिकेट**  
**कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) जिला शिवपुरी (म.प्र.)**


क्रमांक/दस्ता/2025/263

शिवपुरी दिनांक 03/04/2025

व्यक्ति अथवा व्यक्ति जिसकी स्थानीय प्रसूचिकारी जिसकी अवशेष देय है।	व्यक्ति जिसकी ओर से वनराशि अवशेष है।	अवशेष राशि (लाख में)	प्रावधान जिसके अंतर्गत अवशेष भू-राजस्व की माति प्राप्त है।	प्रक्रिया जिसके अनुसार अवशेष वसूल किया जावेगा	प्रक्रिया संपात्त जिसके लिये प्रक्रिया नियमित होगी	विवरण
सदस्य, सचिव मओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल	मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद शिवपुरी	कुल राशि रु. 132 लाख	सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र क्र./2290/तक/मुप्रनिबो/2023 दिनांक 01.09.2023 द्वारा जिला कलेक्टर को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि भू-राजस्व की माति वसूली हेतु आर.सो. जारी किये जाने के संबंध में।	नगरपालिका शिवपुरी द्वारा लगातार जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अनेक प्रावधानों एवं टोत अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के संबंध में मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (सीजेड) भोपाल के प्रकरण क्रमांक 167/2024 में पारित आदेश दिनांक 19.11.2024	मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद शिवपुरी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद शिवपुरी से मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (सीजेड) भोपाल के प्रकरण क्रमांक 157/2024 में पारित आदेश दिनांक 19.11.2024 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कुल राशि रूपए 132 लाख भू राजस्व की माति वसूल कर सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के खाते में जमा करावें।

प्रति,

तहसीलदार, तहसील शिवपुरी जिला शिवपुरी म.प्र. की ओर वसूली हेतु भेजकर लेख किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के प्रकरण 157/2024 में पारित आदेश दिनांक 19.11.2024 के अनुपालन में मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद शिवपुरी से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति कुल राशि रूपए 132 लाख भू राजस्व की माति वसूल किया जावे तथा वसूल की गई राशि सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पंजाब नेशनल बैंक, एफ्को शाहापुरा, अरेस कॉलौनी भोपाल के बैंक खाता क्रमांक- 6310001200000043 आईएफएससी कोड-PUNB0631000 में जमा करवाकर चालान की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें।

  
(रवीन्द्र कुमार चौधरी)  
कलेक्टर  
जिला-शिवपुरी म.प्र.

क्रमांक/री-1/2025/ 364

शिवपुरी दिनांक 23/04/2025

(म.प्र.भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 146 के अधीन मांग की सूची)

// मांग पत्र //



बनाम:-

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिका परिषद शिवपुरी

आपसे एतद् द्वारा यह सूचना प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है कि संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के प्र. क्र.-606/2018 में पारित आदेश दिनांक 25.02.2020, 28.02.2020, 14.12.2024 के अनुपालन में आपसे क्षतिपूर्ति राशि रु. 1,32,00,000/- (एक सौ बत्तीस लाख) देय है तथा यह कि यदि शास्ति एवं आदेशिका सहित इस सूचना की प्राप्ति के सात 07 दिन के अन्तर्गत उसका भुगतान नहीं किया गया तो देयों की वसूली के हेतु आपके विरुद्ध विधि के अनुसार अवपीड़क (चल/अचल सम्पत्ति कुर्की) कार्यवाही की जाएगी।

ग्राम	खाता अंक	बकाया का लेखा	शास्ति	आदेशिक I शुल्क	कुल देय राशि	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
शिवपुरी	माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल	रु.1,32,00,000 /- (एक सौ बत्तीस लाख)		/-	रु. 13200000 /-	

दिनांक.....23/04/2025

प्रतिलिपि:-

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय शिवपुरी की ओर सादर सूचनार्थ।

तहसीलदार  
तहसील-शिवपुरी  
तहसील शिवपुरी

तहसीलदार  
तहसील-शिवपुरी  
तहसील शिवपुरी

587  
29/4/25

R/S  
29/4

समक्ष न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायाधिक दण्डाधिकारी महोदय शिवपुरी  
प्र.क्र. /2024

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
द्वारा-डी.डी.एस. जाटव, पिता स्व. श्री शेर सिंह जाटव,  
उम्र-58 वर्ष, क्षेत्रीय अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण  
बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, टैकर पार्किंग ऐरिया, विजयपुर,  
जिला गुना (म.प्र.)

.....परिवादी

बनाम

- (1) नगर पालिका परिषद, शिवपुरी, तहसील व  
जिला-शिवपुरी (म.प्र.)
- (2) श्री केशव सगर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर  
पालिका परिषद, शिवपुरी (म.प्र.) (22.12.2022 से  
वर्तमान)
- (3) श्री शैलेश अवस्थी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
शिवपुरी (दिनांक 05.08.2021 से 16.12.2022 तक)
- (4) श्री जी.पी. भार्गव, प्रभार मुख्य नगर पालिका  
अधिकारी, शिवपुरी (दिनांक 01.09.2020 से 04.08.  
2021 तक)
- (5) श्री के.के. पटेरिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
शिवपुरी (दिनांक 23.09.2019 से 31.08.2020 तक)
- (6) श्री जी.पी. भार्गव, प्रभार मुख्य नगर पालिका  
अधिकारी, शिवपुरी (दिनांक 29.07.2019 से 20.09.  
2019 तक)
- (7) श्री के.के. पटेरिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
शिवपुरी (दिनांक 10.03.2019 से 27.07.2019 तक)
- (8) श्री सी.पी. राय, मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
शिवपुरी (दिनांक 16.08.2018 से 08.03.2019 तक)
- (9) श्री जी.पी. भार्गव, प्रभार मुख्य नगर पालिका  
अधिकारी, शिवपुरी (दिनांक 16.11.2017 से 01.12.  
2017 तक)
- (10) श्री रणवीर कुमार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
शिवपुरी (दिनांक 27.01.2016 से 08.05.2018 तक)

.....अभियुक्तगण

परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 15, 16, 17 एवं 21 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986

माननीय महोदय,

परिवादी की ओर से सादर परिवाद निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- (1) यह है कि, परिवादी बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। जिसका मुख्यालय भोपाल होकर क्षेत्रीय कार्यालय टैकर पार्किंग ऐरिया, गेल कॉम्प्लेक्स, विजयपुर, जिला गुना में स्थित है। जिसका कार्यक्षेत्र जिला गुना, शिवपुरी एवं अशोकनगर हैं।
- (2) यह है कि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 19 के तहत क्षेत्रीय अधिकारी को सादर परिवाद हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने एवं संचालन के अधिकार

- प्राप्त है। अतः परिवादी बोर्ड की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी श्री डी.वी.एस. जाटव द्वारा हस्ताक्षर कर परिवाद प्रस्तुत की जा रही है। जानकारी परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।
- (3) यह है कि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 19 के अंतर्गत माननीय न्यायालय को सादर परिवाद श्रवण करने का अधिकार होने से परिवाद श्रीमान के सम्मक्ष प्रस्तुत की जा रही है।
- (4) यह है कि, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना क्र. एसओ 1357(ई) नई दिल्ली दिनांक 08.04.2016 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 बनाये गये हैं, जो सम्पूर्ण भारत में लागू है। नियमों की छायाप्रति परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।
- (5) यह है कि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की धारा 22 में नियमों के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक अवसंरचना यथास्थिति, स्थानीय निकाय में और अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा प्रत्यक्ष तथा स्वयं या नियोजित अभिकरणों द्वारा क्रियान्वयन की समय सीमा दी गई थी।
- (6) यह है कि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की धारा 15 में स्थानीय निकायों, और जनगणना नगरों की ग्राम पंचायतों तथा शहरी समूह के कर्तव्यों और उत्तरदायित्व उल्लेखित है।
- (7) यह है कि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 (V) 16 (1) (C), 21 (3) के तहत ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण/पुर्नचक्रण/शोधन और निपटान के लिये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और नियम 16 (9) 16(1) (E) के तहत म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया है।
- (8) यह है कि, बोर्ड मुख्यालय भोपाल के पत्र क्र. 1820 दिनांक 26.07.2023 के माध्यम से श्री अमय जैन, एडवोकेट व अन्य, जेनिथ सोसायटी फॉर सोसियो लीगल इम्प्रोवमेंट, पीली कोठी, कमलागंज, शिवपुरी द्वारा नगर पालिका शिवपुरी द्वारा बंदोबी स्थित, नवीन सक्रिल जेल भवन, शिवपुरी की दीवार से सटाकर डाले गये नगरीय ठोस अपशिष्ट से प्रदूषण एवं दुर्गंध संबंधी शिकायत इस कार्यालय को दिनांक 04.08.2023 को प्राप्त हुई थी शिकायत की छायाप्रति परिशिष्ट-03 पर संलग्न है।
- (9) यह है कि, उक्त शिकायत की जांच इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.07.2023 एवं दिनांक 03.07.2024 को की गई है। जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट-4 व 5 पर संलग्न है। जांच प्रतिवेदन अनुसार नगर पालिका के लेण्ड फिल साईड पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण/पुर्नचक्रण/शोधन और निपटान की नियमानुसार व्यवस्थायें स्थापित नहीं है।
- (10) यह है कि, बोर्ड मुख्यालय भोपाल के पत्र क्र. 684 दिनांक 12.02.2024 द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विजयपुर, जिला गुना को नगर पालिका शिवपुरी द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट से प्रदूषण फैलाने के संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करने बायत् लिखा गया, पत्र की प्रति परिशिष्ट-06 पर संलग्न है।
- (11) यह है कि, दिनांक 03.07.2024 को निरीक्षण दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद शिवपुरी द्वारा निकाय में वर्ष 2016 से कार्यरत मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर एवं प्रभार के रूप में पदस्थ रहे अधिकारियों की सूची प्रदाय की गई है जो परिशिष्ट-07 पर संलग्न है।
- (12) यह है कि, आरोपी क्र. 01 नगरीय निकाय है, तथा अन्य आरोपीगण नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी रहे हैं जो अपराध के समय नगरीय ठोस प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन के लिये जिम्मेदार है। आरोपियों का नगरीय निकाय के


संचालन, उसके सभी कार्यकलाप, सीधा नियंत्रण होने से पर्यावरण (संरक्षण) 1986 की धारा 15 के अनुसार अपराध के लिये दोषी है।

- (13) यह है कि, प्रत्येक अनावेदक नगर पालिका परिषद के कारोबार के संचालन के लिये नगर पालिका परिषद शिवपुरी के भारसाधक एवं उसके प्रति उत्तरदायी है साथ ही नगर पालिका परिषद शिवपुरी इस अपराध के लिये दोषी है। बिना अभियुक्तगणों की जानकारी के उक्त अपराध भारित नहीं हो सकता साथ ही साथ अभियुक्तगण द्वारा अपराध के निवारण के लिये सम्यक तत्परता नहीं बरती। नगर पालिका परिषद शिवपुरी प्रबंधन द्वारा उपरोक्तानुसार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 एवं 25 के तहत जारी नगरीय ठोस प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत जानबूझकर अपराध भारित किया गया है।
- (14) यह है कि परिवारी परिवाद के समर्थन में संलग्न सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है।
- (15) यह है कि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 21 के अनुसार परिवारी बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। अतः उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त रखा जाना उचित होगा।

प्रार्थना

अतएव परिवारी बोर्ड की ओर से माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि, न्यायहित में अभियुक्तगणों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 व 16 के तहत योग्य कार्यवाही की जाकर विधि अनुसार सजा एवं अर्थदंड से दंडित किये जाने की कृपा करें।

परिवारी अभिवक्ता

  
परिवारी  
क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

विजयपुर, तहसील (श्री. ए. एस. जाटव)

क्षेत्रीय अधिकारी  
जिला गुना (म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
विजयपुर-गुना (म.प्र.))

गुना :-

दिनांक :- 8/7/2024

परिवारी साक्षियों की सूची :-

- (1) श्री अभय जैन निवासी पीली कोठी, कमलागंज, थीम रोड, शिवपुरी (म.प्र.)
- (2) श्री डी.एस. यादव, रसायनज्ञ, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विजयपुर, जिला गुना (म.प्र.)
- (3) श्री भूपेन्द्र सिंह नरवरिया, सहा. यंत्री (कॉन्ट्रैक्ट), म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विजयपुर, जिला गुना (म.प्र.)

---

**Inspection report in the matter of Original Application no.157/2024 (CZ) Aditya Shrivastava vs Urban Administration & Development Department, Govt. of MP & ors. submitted in compliance of order dated 22/04/2025.**

---

**From :** Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>

Tue, Jun 24, 2025 02:57 PM

**Subject :** Inspection report in the matter of Original Application no.157/2024 (CZ) Aditya Shrivastava vs Urban Administration & Development Department, Govt. of MP & ors. submitted in compliance of order dated 22/04/2025.

 1 attachment

**To :** abhayjainnlu@gmail.com

**Cc :** ro mppcbguna26 <ro.mppcbguna26@gmail.com>, ED EPCO EPCO Bhopal <ed.epco@mp.gov.in>, Sanjay Shukla <psuaddmp@mpurban.gov.in>, dmshivpuri dmshivpuri <dmshivpuri@nic.in>, harnengt@gmail.com, cmshivpuri@mpurban.gov.in, Superintendent Jail <jsdjsvp@mp.gov.in>, RO Guna Guna <ropcb-guna@mp.gov.in>

Sir/Madam

Please find enclosed the inspection report in the matter of Original Application no.157/2024 (CZ) Aditya Shrivastava vs Urban Administration & Development Department, Govt. of MP & ors. submitted in compliance of order dated 22/04/2025. This mail may be treated as proof of service.

Regards

**LEGAL CELL**  
**MP PCB**

---

 **Inspection report OA 157-2024 dated 24.06.2025.pdf**  
4 MB

---